

# कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा0/हि0नि0/28203/2022-23

दिनांक:- 10/11/22

निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर,

समस्त संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग,

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)(माध्यमिक/प्रारंभिक)

समस्त डाईट प्राचार्य

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

समस्त विशिष्ट संस्थायें

उप-पंजीयक कार्यालय

विषय:- हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2022-23 की कटौती वेतन बिलों से करने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है की राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प021(7) शिक्षा-2/हितकारी निधि/2017 दिनांक 13.10.2017 एवं पत्रांक 15.06.2018 के द्वारा अनुमोदन उपरान्त हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2018-19 से वेतन बिलों की आंतरिक राशि में से वेतन माह दिसम्बर देय जनवरी से प्रारंभ किया गया, उसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेतन माह दिसम्बर, 2022 देय जनवरी, 2023 की कटौती पूर्व निर्धारित प्रक्रिया एवं दर से की जानी है।

हितकारी निधि वार्षिक अंशदान वेतन माह दिसम्बर, 2022 देय जनवरी, 2023 के सम्बन्ध में गत वर्ष की भाँति एक निर्देशिका इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, अतः इस सम्बन्ध में कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी से सम्पर्क कर कटौती सुनिश्चित करावें एवं उक्त समस्त दस्तावेज अपने अधिनस्थों को प्रेषित कर आवश्यक मार्ग निर्देश प्रदान करें। इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक हो तो निम्न मोबाईल नम्बर पर डायल कर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 9461244803, 7023634416

ENC-6

(योगेश चन्द्र शर्मा)

उप निदेशक (प्रशासन)

एवं सचिव हितकारी निधि

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा0/हि0नि0/28203/2022-23

दिनांक:- 10/11/22

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. स्टाफ ऑफिसर माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा को सूचनार्थ।
2. लेखाधिकारी रोकड़ अनुभाग माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग कार्यालय हाजा को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर को विभागीय वेब-साईट एवं शालादर्पण एवं शालादर्शन पर अपलोड करने बाबत।

(योगेश चन्द्र शर्मा)

उप निदेशक (प्रशासन)

एवं सचिव हितकारी निधि

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

# कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा0/हि0नि0/28203/2022-23

दिनांक:- 10/11/22

निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर,

समस्त संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग,

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)(माध्यमिक/प्रारंभिक)

समस्त डार्ट प्राचार्य

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

समस्त विशिष्ट संस्थायें

उप-पंजियक कार्यालय

विषय:- हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2022-23 की कटौती वेतन बिलों से करने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है की राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प021(7) शिक्षा-2/हितकारी निधि/2017 दिनांक 13.10.2017 एवं पत्रांक 15.06.2018 के द्वारा अनुमोदन उपरान्त हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2018-19 से वेतन बिलों की आंतरिक राशि में से वेतन माह दिसम्बर देय जनवरी से प्रारंभ किया गया, उसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेतन माह दिसम्बर, 2022 देय जनवरी, 2023 की कटौती पूर्व निर्धारित प्रक्रिया एवं दर से की जानी है।

हितकारी निधि वार्षिक अंशदान वेतन माह दिसम्बर, 2022 देय जनवरी, 2023 के सम्बन्ध में गत वर्ष की भाँति एक निर्देशिका इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, अतः इस सम्बन्ध में कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी से सम्पर्क कर कटौती सुनिश्चित करावें एवं उक्त समस्त दस्तावेज अपने अधिनस्थों को प्रेषित कर आवश्यक मार्ग निर्देश प्रदान करें। इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक हो तो निम्न मोबाईल नम्बर पर डायल कर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 9461244803, 7023634416

(योगेश चन्द्र शर्मा)

उप निदेशक (प्रशासन)

एवं सचिव हितकारी निधि

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा0/हि0नि0/28203/2022-23

दिनांक:- 10/11/22

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. स्टाफ ऑफिसर माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा को सूचनार्थ।
2. लेखाधिकारी रोकड़ अनुभाग माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग कार्यालय हाजा को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर को विभागीय वेब-साईट एवं शालादर्पण एवं शालादर्शन पर अपलोड करने बाबत।

(योगेश चन्द्र शर्मा)

उप निदेशक (प्रशासन)

एवं सचिव हितकारी निधि

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

हितकारी निधि का अंशदान वेतन माह दिसम्बर 2022 भुगतान जनवरी 2023 सीधे ही वेतन से कटौती करने हेतु मार्ग निर्देश:-

1. वेतन माह दिसम्बर 2022 दैय जनवरी 2023 हितकारी निधि अंशदान कटौती हेतु निदेशालय के परिपत्र का पूर्ण अवलोकन करें।
2. वार्षिक अंशदान परिपत्र अनुसार निर्धारित दर से किया जाना है।
3. हितकारी निधि कि 28वीं एवं 29वीं बैठक में किये गये निर्णयानुसार अब हितकारी निधि के अंशदान कि कटौती सीधे ही वेतन बिलों से की जानी है, इसका अनुमोदन राज्य सरकार के पत्रांक दिनांक 15.06.2018 द्वारा प्राप्त किया गया है।
4. प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी साथ संलग्न (क्र0स0 -1) के अनुसार एक पत्र अपने कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

उक्त पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जावें:-

1. वेतन बिल के साथ (क्र0स0-2) अनुसार प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा हितकारी निधि कटौती का शिड्यूल संलग्न किया जावें जिसके अन्त में DDO के हस्ताक्षर मय कार्यालय मोहर एवं DDO कोड़ अंकित किया जावें।
2. पत्र के साथ निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर का पत्र (क्र0स0 -3) संलग्न करें।
3. पत्र के साथ हितकारी निधि खाता संख्या 51020721611 कि बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ कि प्रति संलग्न करे। (क्र0स0-4)
4. पाथ निर्देश पत्र
5. बन्दु संख्या - 4 में अवगत कराये अनुसार पत्रादि तैयार कर संबंधित कोषालय/उप-कोषालय में पत्र प्रस्तुत कर कटौती के सम्बन्ध में वार्ता कर लेवे एवं तदनुसार कार्यवाही करें।
6. Paymanger पर Dependet Deduction के रूप में संबंधित कोषालय/उपकोषालय मे paymanger पर Add करावें।
7. दिसम्बर 2018 के वेतन बिल से कटौती हो जाने के पश्चात आपको अपने स्तर से कटौती के Option को डिलिट करना होगा ताकि अगले माह मे पुनः कटौती ना हो जावे, इसका विशेष ध्यान रखा जावें। क्योंकि यह कटौती वार्षिक है।
8. वेतन विपत्र से कटौती केवल दिसम्बर 2022 दैय जनवरी 2023 के वेतन से की जानी है, यदि किसी कारणवश कटौती विपत्र से नहीं हो पाती है तो पूर्व कि भौती अंशदान राशि एकत्रित कर DD/चैक के माध्यम से ही भिजवाई जावें।
9. वेतन विपत्र पारित होने के उपरान्त हितकारी निधि अंशदान कटौती के शिड्यूल एवं ई0सी0एस0 केशबुक की एक हस्ताक्षरित प्रति अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर के नाम से प्रेषित करें ताकि बैंक से इसका मिलान किया जा सकें।

(4) 104

①

कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी

.....  
.....

विषय:- Add Group Dependent Deduction  
में कटौती शुरू करवाने बाबत।

महोदय,

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माह दिसम्बर,2018 का वेतन जो माह जनवरी,2019 में देय होगा जिसमे समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से हितकारी निधि फण्ड के लिये वार्षिक अंशदान कि कटौती की जानी है। उक्त कटौती पै-मेनेजर में Add Group Dependent Deduction से की जानी है
2. इस प्रकार से काटी गई राशि हितकारी निधि में निम्नानुसार जमा की जानी है।

01	Bank Account No.	51020721611
02	Bank IFSC Code	SBIN0031347
03	Bank Branch	कै0ई0एम0 रोड़, शाखा, बीकानेर

3. वर्तमान में Add Group Dependent Deduction में कटौती नहीं हो रही है अतः कृपया Add Group Dependent Deduction में कटौती शुरू करवाने का श्रम करावें। इस कार्यालय की ऑफिस आई0डी0 .....है।

क्र0स0	ग्रुप का नाम जिसमें कटौती की जानी है।
01	हितकारी निधि

हस्ताक्षर  
DDO:-  
Code No.:-

## अध्यक्ष हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

Office Name:-

Month:-

DDO Code:-

Bill No. & Date:-

Sr.No.	Employee ID	Name of Employee	A/C No.	Designation	Deduction Amount
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
			51020721611		
Grand Total					

Rupees in Words:

②  
103

1234

(3) (8)


DD (Aa)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

21-3-18  
दिनांक: 15/3/

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष / IFMS/Paymanager/ 21318

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर।



विषय: Add. Group Dependent Deduction में कटौती शुरू करवाने के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्र दिनांक 07.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा Add. Group Dependent Deduction Pay manager System में हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान आहरण एवं वितरण अधिकारियों के मार्फत वेतन बिलों की आंतरिक राशि में से कटौती कर एस.बी.आई. खाता संख्या 51020721611 में जमा करवाने का विकल्प उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में लक्ष्य है कि उक्त सुवेधा कोषाधिकारी लॉगिन में उपलब्ध है। अतः तदानुसार संबंधित कोषाधिकारी से सम्पर्क कर अहित कार्यवाही करवाया जाना अपेक्षित है।

भवदीया

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

(5) 105

समान्यतः प्रयोग किए जाने वाले शब्द संक्षेप Generally used Abbreviations

A/c = Account/खाता	Dep = Deposit/जमा	Pr = Principal/मूलधन
Adj = Adjustment/समायोजन	Dft = Draft/ड्राफ्ट	Proc = Processing Charge/प्रक्रिया शुल्क
Amt = Amount/राशि	Dish/Dsh = Dishonour/अनादर	RD = Recurring Deposit/आवर्ती जमा
Ar = Arrear/बकाया	DR = Debit/नाश	Ret/Rtn = Return/वापस
Bal = Balance/शेष	DoB = Date of Birth/जन्म तिथि	Rnd = Round off/पूर्णांकित
Capn = Capitalization/पूजाकरण	EFT = Electronic Fund Transfer/यात्रिक कोष अंतरण	SB = Saving Bank/बचत बैंक
Chg/Ch = Charge/शुल्क	Inop = Inoperative/अपस्चालित	SC = Short Credit/लघु जमा
Chq = Cheque/चेक	Ins = Insurance/बीमा	SI/So/SORD = Standing Instruction/था. अदि.प
Clos = Closure/बन्द	Int/In = Interest/ब्याज	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of/पुत्र/पुत्री/पत्नी
Coll = Collection/संग्रहण	Lon/In = Loan/ऋण	Tr/Trf/Xfer = Transfer/अंतरण
Comn = Commission/कमीशन	Min = Minimum/न्यूनतम	TT = Telegraphic Transfer/ता. अंतरण
COR/CORR = Correction/सुधार	Os = Outstanding/बकाया	Trn = Transaction/लेन देन
CR = Credit/जमा	P & T = Postage & Telegram/डाकू व तार	Wdl = Withdrawal/आहरण
Csh = Cash/नकद	Pos = Point of sale/विक्रय केंद्र	MOD bal+CD Bal=total balance (SB+linked MOD A/C) बहुविकल्प शेष+जमा शेष = कुलशेष

भारतीय स्टेट बैंक



51020721611  
State Bank of India

Savings Bank Account  
CIF No : 78120732132  
Account No : 51020721611  
Customer Name: HITKARI NIDHI

BIKANER K.E.M. ROAD  
K.E.M. ROAD

S/D/W/H/o: HITKARI NIDHI  
Address: D S E RAJASTHAN BIKANER

Phone: 2223070  
Email: sbi.31347@sbi.co.in  
Branch Code: 31347  
Date of Issue: 07/09/2018  
07/09/2018 7838247 31347  
IFSC: SBIN0031347  
MICR: 314002030  
Branch Manager  
CONTINUATION

BIKANER  
Phone: 0151  
Email:  
D.O.B. (If Minor):  
MOP.: SINGLE  
Nom. Reg. No.:



राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/9966-10006

दिनांक 19/12/18

कोषाधिकारी  
समस्त।

विषय:- शिक्षा विभाग के कार्मिकों के वेतन में हितकारी निधि  
डिडक्शन जोड़ने के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों के वेतन से हितकारी निधि की डिडक्शन (जो माह दिसम्बर देय माह जनवरी के वेतन से की जानी है) जोड़ने को को-ऑपरेटिव डिडक्शन के रूप में जोड़ने की सुविधा डीडीओं लॉगिन में उपलब्ध है, जिसका माथ निम्नानुसार है :-

DDO Login - Deduction Master - Co-Operative deduction

अतः संबंधित डीडीओं अपने स्तर से उक्त डिडक्शन को जोड़े जाने हेतु निर्देशित करें।

भवदीय

  
(अमिता शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/

दिनांक

प्रतिलिपि: अध्यक्ष, हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर को सूचनार्थ  
प्रेषित है।

  
अतिरिक्त निदेशक (IFMS)